



क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 1978/NOC-2292/17

दिनांक 22-12-17

सेवा में,

'पंजीकृत'

मै0 एस्सार ऑयल लिमिटेड,  
(एस्सार ऑयल लि0 का नवीन रिटेल आउटलेट),  
द्वारा श्री महेश जैन,  
निवासी-एम-8, बी, महावीर पार्क,  
जनपद-अलीगढ़।

**विषय:- पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से नवीन रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु  
निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आप अपने पत्र दिनांक 13.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें आप द्वारा पूर्व निर्गत पत्रांक-555/एन.ओ.सी.-2292/15, दिनांक 01.04.2015 द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया जिसकी वैधता अवधि पूर्व में कार्यालय के पत्र 506/एन.ओ.सी.-2292/16 दिनांक 16.03.2016 के माध्यम से दिनांक 30.06.2017 तक बढ़ायी गयी थी को दिनांक 30.06.2018 तक बढ़ायी जाती है तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र की सभी शर्त पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीय

(राम गोपाल)

क्षेत्रीय अधिकारी